[k.M% 2] vad% 9 flrEcj 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका: समसामयिक प्रासंगिकता

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः समसामयिक प्रासंगिकता

अनुक्रमिका

सम्पादकीय		i-ii
1. असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं विषय	– रमेश चौधरी	1–4
2. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः एक राष्ट्रीय विषय	– वर्षा तोमर	5–7
3. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः असम में नागरिक अधिकार संरक्षण का एक उपाय	– राखी	8–10
4. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः समस्याएं एवं समाधान	– राम किशोर	11–14
5. राष्ट्रीय नागरिक पजिकाः भारत की आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य मे	– शम्भू	15–17
6. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः राजनीति और सुरक्षा के संदर्भ में	– रजनी	18–21
7. राष्ट्रीय नागरिक पंजिका एवं भारतीय राजनीतिक दलः परिवर्तित विचार	– काजल	22–25

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के इस नौवें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। प्रत्येक माह के समसामयिक एवं ज्वलंत विषय को लेख प्रकटीकरण के माध्यम से पाठकों के साथ संबद्ध होने का हमारा यह प्रयास वर्ष 2018 के अगस्त माह से निरंतर चल रहा है। संश्लेषण का अब तक का यह 14वां अंक समस्त पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वर्ष 2019 का सितम्बर माह राष्ट्रीय नागरिक पंजिका अर्थात् एनआरसी से संबद्ध विभिन्न वाद–विषयों पर केन्द्रित रहा। गत वर्षों में भारत में विदेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण ने आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को जन्म दिया। भारत के उत्तरोतर राज्यों जैसे असम में देश–परदेश ध्रुवीकरण ने राज्य में रह रहे नागरिकों के मध्य कई दशकों से चल रहे विवाद को भी एक नया आयाम दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में असम राज्य में नागरिकों के पंजीकरण के लिए एक विशेष वैधिक अभियान भी चलाया गया जिसके कारण प्रामणिक प्रलेखों के अभाव में कई वर्षों से राज्य में रह रहे नागरिकों की नागरिकता जाने की घटनाएं भी चर्चित व विवादस्पद हुई। इस विषय ने न केवल असम में विभिन्न विरोध प्रदर्शनों को उत्पन्न किया अपितु केन्द्र स्तर पर भी एनआरसी के संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन के केन्द्र सरकार के वक्तव्य ने विपक्ष एवं विरोधियों को एक बार पुनः एकजुट कर दिया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः समसामयिक प्रासंगिकता' विषय पर लेख आमंत्रित किये। सात उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता को लेकर उठे विभिन्न वाद–विषयों को भी संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को भी प्रद्रशित करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के अक्तूबर माह के अपने आगामी समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

सोमवार, 14 अक्तूबर 2019

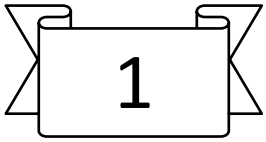

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं विषय

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (NRC) अत्यंत महत्वपूर्ण और एक ज्वलंत मुद्दा है, यह मुद्दा यर्थाथ रूप से देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों और वास्तविक नागरिकों के अंतर से है। अवैध घुसपैठ की समस्या सबसे अधिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम मे रही है जिसका कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश से काफी बड़ी मात्रा में अवैध घुसपैठ का होना है। अवैध विदेशियों के विस्थापन के कारण असम राज्य में अत्यधिक मात्रा में तनाव और राजनीतिक संकट बढ़ा है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण राज्य की जनसांख्यिकीय विशेषता में परिवर्तन और स्थानीय असमिया भाषी व अन्य जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं रही है। इन्हीं समस्याओं और राजनीतिक तनाव के कारण असम में अनेक संगठनों जैसे कि AASU और AAGSP ने 1979–85 में काफी आंदोलन किए और उन आंदोलनों को 1985 असम समझौते के द्वारा समाप्त किया गया। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का नवोनीकरण असम समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जिसकी मांग 1985 से ही की जा रही थी, जो कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से ही राज्य व राष्ट्रीय राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बना।

उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य असम को विस्थापित जनों की भूमि के रूप में माना जाता है क्योंकि असम राज्य में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी से ही विभिन्न नस्लों, धर्मो और संस्कृतियों को मानने वाले व्यक्तियों का समय–समय पर विभिन्न कारणों से विस्थापन हुआ है। असम राज्य में बाहरी लोगों के विस्थापन का इतिहास औपनिवेशिक काल से रहा है। 1820 और 1830 के दशकों में अंग्रेजों ने असम में चाय के खेतों में काम करने लिए पूर्वी बंगाल से काफी बड़ी मात्रा में अनेक मजदूरों को असम में विस्थापित किया। इसी घटना से धीरे–धीरे विस्थापित लोगों ने असम के स्थानीय लोगों की संस्कृति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप असम की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आरंभ हुए। उत्तर–औपनिवेशिक काल के

संदर्भ में असम में बड़ी मात्रा में विशेष रुप से बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) से हिंदू और मुस्लिम शरणार्थियों ने असम में विस्थापन करना आरंभ किया, जिसका कारण 1950 और 1960 के दशकों में विशेषतः 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे बांग्ला भाषी हिंदू और मुसलमानां पर अत्याचार किए जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने असम की ओर विस्थापन किया। इस दौर में काफी बड़ी मात्रा में बांग्लादशी शरणार्थियों ने असम में विस्थापन किया जिसके फलस्वरूप असम की जनसांख्यिकीय विशेषता में परिवर्तन और राज्य में तनाव व संकट का वातावरण आरंभ हुआ, जिसने विभिन्न हिंसक आंदोलनों को जन्म दिया जिसमें असम आंदोलन (1979–85) प्रमुख रहा, जिसका नेतृत्व 'ऑल असम स्टूडेंट यूनियन' (AASU) और 'ऑल असम गन संग्राम परिषद' (AAGSP) के युवा नेताओं ने किया। इस आंदोलन को असम में अत्यंत जनसमर्थन मिला, इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग राज्य में रह रहे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान और उनका राज्य से निष्कासन और राज्य के स्थानीय लोगों को संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करना था।

इस आंदोलन और अशांति को 15 अगस्त 1985 को असम अनुबंध के बाद आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया, जिस पर AASU और AAGSP के नेताओं और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। असम अनुबंध (1985) एक समझौता ज्ञापन था जिस पर 15 अगस्त 1985 नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन (1979–1985) के विभिन्न नेताओं जैसे कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के प्रफुल्ल कुमार महंता और ऑल असम गन संग्राम परिषद (AAGSP) के बिराज शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का नवीनीकरण असम समझौते (1985) और स्थानीय असमिया लोगो के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू था।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका से अभिप्राय उस दस्तावेज से है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल होता है, इसे 1951 में जनगणना के बाद देशव्यापी स्तर पर पहली बार तैयार किया गया था। असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का नवीनीकरण की मांग होने के कारण अधिक ह जिसमें असम के स्थानीय लोगों की पहचान व आर्थिक संबंधी समस्याएं महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के नवीनीकरण का सबसे प्रमुख कारण स्थानीय लोगों की राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान का संकट है, बड़ी संख्या में शरणार्थियों व घुसपैठियों के आने से राज्य के

स्थानीय लोग सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से प्रभावित हुए हैं जिसके फलस्वरूप वह आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर भी हुए हैं। अभी हाल ही में BTAD में बोडो–मुस्लिम हिंसा इसी समस्या के कारण हुई। दूसरा कारण घुसपैठ के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर बढ़ता वित्तीय बोझ, बढ़ते अवैध विस्थापन ने राज्य सरकार पर काफी अधिक वित्तीय बोझ बढ़ाया है जिसका कारण शरणार्थियों के जीवन निर्वाह, शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया गया व्यय है। तीसरा कारण अवैध विस्थापन और घुसपैठ के कारण राज्य के पर्यावरण पर हो रहे नकारात्मक प्रभाव, शरणार्थियों को विस्थापित करने व उनके जीवन निर्वाह जैसे की खेती करने के लिए राज्य में बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में 1951 में 39 प्रतिशत वन क्षेत्र थे जो अब घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। चौथा कारण राज्य में बढ़ती अवैध मतदाताओं की संख्या से है जिसने राज्य की राजनीति को काफी प्रभावित किया और स्थानीय लोगों के हितों और प्रभाव को संकुचित किया, समय के साथ–साथ अनेक बांग्लादेशी शरणार्थियों ने गैरकानूनी रूप से निर्वाचन सूची में अपना नाम शामिल करवा लिया और विभिन्न राजनोतिक दलों उनका असम की राजनीति में वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पांचवा कारण, अवैध घुसपैठ और बाहरी विस्थापन के कारण स्थानीय असमिया श्रमिकों और लोगो का विस्थापन और जनसंख्या की वृद्धि के साथ मजदूरी स्तर में कमी का होना रहा है। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के नवीनीकरण की मांग में सबसे महत्वपूर्ण कारण आतंकवाद और उग्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति और संभावना भी है, वर्तमान समय में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI असम में बांग्लादेश समर्थित उग्र आंदोलनो व आतंकी गतिविधियों में अधिक सक्रिय है। यह सभी कारण असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी कारण राज्य की अस्मिता और सुरक्षा से संबंधित है।

31 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की अंतिम सूची प्रकाशित की गई, जिसमें 33 मिलियन आवेदकों में से 1.9 मिलियन आवेदकों को सूची के बाहर कर दिया गया। अंतिम सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने का एक और अवसर विदेशी प्राधिकरण में दिया जाएगा और उनकी अपील को सुना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी स्टेटलेसनेस को समाप्त करना चाहती है, लेकिन दुनिया में करीब एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं। ऐसे में भारत के लिये वर्तमान स्थिति असहज करने वाली होगी। नागरिकता के इस मामले ने असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहस छेड़ दी है।

असम की राजनीति में यह मद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है। अब आवश्यकता है इस मामले को गंभीरता के साथ सुलझाने की।

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और विस्थापन का मुद्दा अनेक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आयामों के कारणों से असम राज्य के विकास, समृद्धि, स्थिरता और शांति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है अपितु नुकसान पहुंचा रहा है। असम राज्य के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजिका और असम समझौते का शीघ्र समाधान अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का नवीनीकरण और उसके बाद की प्रक्रिया का क्रियान्वयन भारतीय नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग दिए बिना अपने तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना सरकार और भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

♦♦♦♦♦

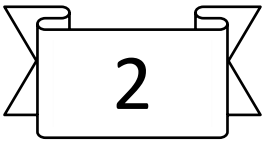

राष्ट्रीय नागरिकता पंजिकाः एक राष्ट्रीय विषय

वर्षा तोमर

अंग्रेजी विभाग, कोटा विश्वविद्यालय

31 अगस्त 2019 को असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण की अद्यतन अंतिम सूची लागू कर दी गई। करीब 1900000 लोगों का नाम इस नई सूची से बाहर हो गया है। इनमें बड़ी संख्या मुसलमान और बंगाली हिंदुओं की है जिनका नाम एन.आर.सी सूची से बाहर हुआ है वह भारतीय नागरिकता के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इसके विपरित हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि एन.आर.सी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा । इस प्रकार सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान करके उनका कानूनी तौर पर देश से बाहर भेजा जाएगा।

नेशनल पंजिका ऑफ सिटीजन (एन.आर.सी) एक ऐसा पंजिका है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के नाम शामिल किये जाते है। वर्तमान मे असम एन.आर.सी की व्यवस्था वाला इकलौता राज्य है। वर्ष 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार किया गया।

1. 1951 मे पहली बार एन.आर.सी तैयार किया गया।
2. 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में प्रवेश।
3. 1970–80 असम में जनांकिकीय परिवर्तन और परिणाम स्वरूप अवैध शरणार्थियों और राज्य के निवासियों के बीच सामाजिक जाति और वर्ग संघर्ष का प्रारंभ।
4. 1979–85 ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में असम विद्रोह आरंभ किया गया और इसको ऑल असम गण संग्राम परिषद का भी समर्थन प्रदान किया गया।
5. 1985 असम समझौते पर हस्ताक्षर और 1951 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का अद्यतन किया जाना।
6. 2012–13 में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करना और केंद्र सरकार को एन.आर.सी संशोधित करने का निर्देश दिया गया।

7. 30 अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची लागू की गई जिसमें लगभग 19 लाख लोग बाहर हुए तथा बाहर हुए लोगो ने एन.आर.सी में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

अवैध शरणार्थियों से संबंधित अभियोग केवल असम में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य में से भी आने लगी है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि असम के अतिरिक्त एन.आर.सी की व्यवस्था अन्य राज्य में भी लागू की जा सकती है। नागालैंड एन.आर.सी के जैसा ही एक डाटाबेस बना रहा है जिसे पंजिका ऑफ इंडीजीनस इनहैबिटेंट्स के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार भी एक राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका बनाने की योजना बना रही है जिसमें नागरिकों की जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक विवरण शामिल किए जाएंगे।

साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बड़ी मात्रा में दोनों स्थानों से शरणार्थीयो का स्थानांतरण हुआ। इस अंतराल में अधिक संख्या में लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए लेकिन इन लोगों की जमीने और संपत्तिया असम मे थी इस कारण इनमें से कई लोगों का स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत में आना–जाना लगा रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नागरिकों और अवैध शरणार्थियों के बीच विभेद करना मुश्किल होने लगा जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार किया। इस सूची में लोग शामिल किए गए थे जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे थे या पैदा हुए थे या उनके माता–पिता भारत में पैदा हुए थे। इसके अलावा उन लोगों का भी नाम शामिल था जो 26 जनवरी 1950 से कम से कम 5 साल पहले भारत में रह रहे थे। 17 नवंबर 1999 को असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की आधिकारिक त्रिपक्षीय बैठक में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अद्यतन करने का निर्णय लिया। 5 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अद्यतन करने अंतिम निर्णय लिया गया परंतु इस विषय एक राजनीतिक मोड़ ले लिया और इस विषय को तक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया गया। इसके उपरांत में एन.आर.सी को संशोधित करने की प्रक्रिया साल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत प्रारंभ की गई थी। एन.आर.सी के अंतिम अद्यतन सूची 31 अगस्त को जारी की गई इस अंतिम सूची के अनुसार लगभग 19 लाख आवेदक अपने भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए।

एन.आर.सी. को अद्यतन करने का कार्य राज्य सरकार का यंत्र कर रहा है लेकिन इसका पर्यवेक्षण अर्थात देखरेख भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल कर रहे है। क्योंकि नागरिकता भारत क सविधान में संघ सूची का विषय है इसलिए एन.आर.सी के अद्यतन से संबंधित नीति

संबंधी निर्णय दिशा–निर्देश और वित्त–पोषण का कार्य केंद्र सरकार कर रही है। अंततोगत्वा पूरी प्रक्रिया की निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहे है।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने इस लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिक्खो, बौद्धो, जैन, ईसाईयों, और पारसियों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त उनके निवास काल 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस कानून के अंतर्गत अवैध प्रवासी उनको माना गया है जिनके पास दस्तावेज नहीं है या उनका वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुके हुए थे।

एन.आर.सी सूची से जिसका नाम बाहर हो गया है उनके दावों को माननीय दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है क्योंकि इस विषय का अवलोकन विश्व समुदाय भी कर रहा है। दक्षिण एशिया में शरणार्थी संकट एक बड़ा विषय है। भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को यह दर्शाना होगा कि भारत का यह शरणार्थी संकट भी उन्हीं में से एक है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एन.आर.सी सूची से बाहर हुए हैं उनको कानूनी सहायता के एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें अपने सीमित साधनों के साथ अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध करनी है। इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को अपने कार्यों में विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है तत्पश्चात् यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़े पैमाने पर मानवीय संकटों का प्रकोप ना हो। इसके अतिरिक्त मामले के राजनीतिकरण को भी रोकने की जरूरत है।

♦♦♦♦♦

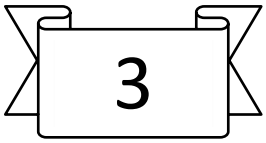

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः असम में नागरिक अधिकार संरक्षण का एक उपाय

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

असम तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की मांग कई दशकों से की जा रही है। इसका पालन कर इन राज्यों में अनौपचारिक रूप से शरण ले रहे प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्यवाही करना राज्य में व्यवस्था स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के नागरिक अधिकार संरक्षण हेतु यह प्रावधान किसी क्षेत्र विशेष में गैरकानूनी रूप से रह रहे उन प्रवासियों के विरुद्ध कार्यवाही का एक साधन है जिसके द्वारा सरकार नागरिको तथा गैर–नागरिकों के मध्य विभेद कर सकती है। 1951 की जनगणना के आधार पर नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए 1955 के भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए भारतीय नागरिक पंजिका का निर्माण किया गया था।

इतने वर्षो के पश्चात इसका असम में पुनः सुधार किया जा रहा है जिसका एक कारण इस राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से गैर कानूनी रूप से आए वह प्रवासी वर्ग है जिससे इस राज्य की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा है जिसके समाधान के लिए यह एक प्रभावकारी कदम है। इस संदर्भ में संसद में नागरिकता संशोधन बिल प्रस्ताव करने की भी मांग की गई है। उससे नागरिकता के प्रावधानों में अल्पमत के वर्गो को 6 वर्षो के निवास की शर्त के पश्चात नागरिकता प्राप्त होगी। यह 1992 नागरिकता संशोधन बिल के उस प्रावधान को निरस्त कर देगा जो की देश से बाहर रह रहे किसी भी व्यक्ति को जन्म के समय माता पिता के नागरिक होने के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। इस प्रकार पंजिका के प्रावधान इस संशोधन के लिए आधार स्वरूप एक पहल है जिससे राज्य में आने वाले घुसपैठियों पर लगाम लगाकर कानूनी रूप से नागरिको की पहचान करेगा। प्रवास ने असम की जनता के नागरिक अधिकारों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है जिसने सरकारी संस्थाओ को भी चिंतित कर दिया है। नागरिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु यह विशाल जनसँख्या गहन समस्या बन गई है। 2010 में सरकार ने तरुण गोगोई की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट के रूप में इस सूची को सुधार करने का कार्य बारपेटा तथा कामरूप जिलो से ही

आरम्भ कर दिया गया था, परन्तु असल प्रभावी बदलाव 2013 में तब आये जब असम पब्लिक वर्क द्वारा याचिका दाखिल करते हुए इसकी पुरजोर मांग की जिसके परिणाम स्वरूप 2015 से न्यायालय भी इस विषय पर निरंतर नजर बनाये हुए थे।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के आरम्भ से भविष्य योजना तक

रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस ने 1961 मे अपनी की रिपोर्ट मे कहा की असम में घुसपैठ 2,20,691 तक पहुंच गई है। 1965 के अंतराल गैर–कानूनी प्रवासियों की पहचान हेतु असम सरकार के साथ मिलकर भारतीय सरकार ने इस पंजिका को पूरा करने हेतु नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की पहल की, किन्तु 1966 मे केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अव्यवहारिक मानते हुए इस विचार को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार कानूनी रूप से नागरिकों के विकास हतु इस अव्यवस्थित प्रवास पर नियंत्रण करना पंजिका का आधारभूत लक्ष्य हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य 24 मार्च 1971 की अर्धरात्रि के पश्चात से राज्य में असंवैधानिक रूप से निवास करने वालो का पता लगाना हैं। इस समय को गैर–कानूनी प्रवास का आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि इसी समय बांग्लादेश के निर्माण के कारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए असम राज्य नागरिकता पंजिका का निर्माण किया गया जिसमे प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम शामिल होगा जो किसी भी राज्य के मतदाता सूची मे शामिल होगें।

वर्तमान समय में यह समस्या समाप्त नही हुई है, समाधान अभी अपूर्ण है क्योंकि 31 अगस्त 2019 को जारी की गई इस सूची का उद्देश्य उन लोगो की पहचान करना था जो घुसपैठिये है किंतु इसमें 19.07 लाख (जो आवेदन करने वाले 3.29 करोड़ व्यक्तियों का 6ः था) लोगो को बाहर कर दिया गया। यह प्रक्रिया जिसमे बड़ी संख्या मे लोग सूची से बाहर हो गए हैं। जिसने जनता के मन में आशंका तथा तनाव को पैदा किया है क्योंकि इस विषय में बहुत लोगो का मानना है की इससे जनसांख्यिकी परिवर्तन राज्य में लागू किये जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। अवार्ड प्राप्त कर चुके प्रसिद्ध व्यक्ति भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल हुए हैं। जिससे व्यापक स्तर पर इस प्रावधान की आलोचना की जा रही है। इसके अलावा झूठे दस्तावेज की संभावना से यह समस्या अत्यधिक जटिल हो सकती है, क्योंकि इससे पंजिका की प्रासंगिकता के प्रति संदेह उत्पन्न हो सकता है। किन्तु अपने निवास की वैधता सिद्ध करने के लिए इन वर्गो को दिया गया समय सरकार का जनता के प्रति उदारवादी व्यवहार का सूचक है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने अपने लेख मे इस विषय मे लिखा था कि "सावधान रहे की आप क्या मांग कर रहे है क्योंकि जब यह मिलेगा तो आप प्रसन्न नहीं होंगे यह विचार उस संख्या के प्रति सहानुभूति को प्रदर्शित तो करता है जो इससे बाहर हुए है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है की इसके द्वारा किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव को अग्रसर किया जाएगा बल्कि इसके लिए सरकारी संस्थाएं समुचित कदम उठाने के लिए कार्यरत है– जैसा की चुनाव आयोग ने कहा है की इन्हे मतदाता सूची से अभी बहिष्कृत नहीं किया जायेगा। अंततः यह संभावना है की भविष्य में जब इस तरह के परिवर्तन से वहाँ के राज्य की जनता लाभान्वित होंगी। मई 2019 मे इस संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण संशोधन आदेश पास किया गया जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है की असम की तरह सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्वयं के विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित करें जिससे की विदेशियों की पहचान सरलता से की जा सके। असम में 400 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित किये गए हैं जिसमे से 200 सितम्बर से कार्यरत हो चुके है।

निष्कर्ष –

भारतीय नागरिक पंजिका असम में नागरिकता के अधिकारों की सुनिश्चितता तथा उनके संरक्षण का एक अहम प्रयास है इस क्षेत्र में अभी काफ़ी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय तथा सरकार के मिले–जुले प्रयास का यह एक सकारात्मक कदम है जिससे इस समस्या को हल किया जा सकेगा और यही कारण है की असम के बाद अनेक राज्यों ने इसकी मांग की है। इस प्रकार यह विचार जो लम्बे समय से केवल चिंतन में ही था आज जब व्यवहारिक रूप में धरातल पर लागू हुआ है तो इसके परिणामस्वरूप कुछ समस्याएं उत्पन्न होना सुनिश्चित है। किन्तु उनका हल इसका विरोध करके नहीं अपितु इनके लिए उपाय ढूंढ़कर किया जा सकता है। जहाँ आज प्रत्येक देश विकास नीतियों के लिए कार्यरत है जबकि भारत आतंक तथा गुनाहो के जाल में फंसा हुआ है। घुसपैठ की समस्या से जो गुनाहो की संख्या बढ़ी है उसमे भी इन नीतियों से कमी आएगी।

♦♦♦♦♦

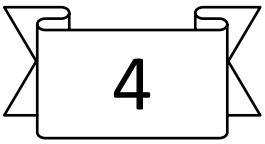

4

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः समस्याएं एवं समाधान

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के दूसरे और अंतिम प्रारूप को प्रकाशित कर दिया गया है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए गए 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम सम्मिलित हैं और इसमें 40 से 41 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। असम सरकार का कहना है कि जिनके नाम पंजिका में नहीं है उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के अंतिम प्रारूप आने के पश्चात् से असम एवं पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस विषय को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल एक दूसरे के आमने–सामने हैं। यद्यपि असम देश का अकेला राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार किया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रीय नागरिक पंजिका वो प्रक्रिया है जिससे देश में गैर–कानूनी तौर पर रह विदेशी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जाती है। असम में स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) तैयार हुआ था। यह राष्ट्रीय नागरिक पंजिका 1951 की जनगणना के बाद तैयार हुआ था और इसमें तब के असम के रहने वाले लोगों को सम्मिलित किया गया था।

अंग्रेजों के समय में चाय बागानों में काम करने और खाली पड़ो भूमि पर कृषि करने के लिए बिहार और बंगाल के लोग असम जाते रहते थे, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों का विरोध बाहरी लोगों से रहता था। 50 के दशक में ही बाहरी लोगों का असम आना राजनीतिक मुद्दा बनने लगा था। 1971 में एक विदेशी पत्रकार के प्रश्न कि लाखो अवैध प्रवासियों का आप क्या करेंगी? उन्हें कितने दिनों तक रखेंगी, के उत्तर में इंदिरा गांधी ने कहा, 'हम तो उन्हें अभी ही नहीं रख सकते हैं, कुछ महीनों में पानी सचमुच सिर के उपर चला गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मैंने यह तय किया है कि सभी धर्मों के शरणार्थियों को हर अवस्था में जाना होगा। यद्यपि दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर

दिया गया, उसके कुछ दिन के पश्चात् वहां पर हिंसा में कमी आई। हिंसा कम होने पर बांग्लादेश से भारत आए बहुत सारे लाग अपने देश लौट गए, लेकिन लाखों की संख्या में लोग असम में भी रुक गए। यद्यपि 1971 के पश्चात् भी बड़े स्तर पर बांग्लादेशियों का असम में आना जारी रहा। जनसंख्या में होने वाले इस बदलाव ने मूलवासियों में भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी।

1978 के आसपास यहां असमिया के विषय को लेकर एक शक्तिशाली आंदोलन का जन्म हुआ, जिसकी अगुवाई वहा के युवाओं और छात्रों ने की। इसी बीच दो संगठन आंदोलन के अगुवा के तौर पर उभरे. ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद थे। अभी ये आंदोलन अपने उफान पर थे कि 1978 में ही असम के मांगलोडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद होरा लाल पटवारी का निधन हो गया जिसके पश्चात् वहां उपचुनाव की घोषणा हुई। इस दौरान चुनाव अधिकारी ने पाया कि मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। इसने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया तथा यह माना गया कि बाहरी लोगों, विशेष रूप से बांग्लादेशियों के आने के कारण ही इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि स्थानीय विरोध को अलग रखते हुए सरकार ने इन सब लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया। केंद्रीय नेतृत्व के इस व्यवहार से स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ एवं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन तथा असम गण संग्राम परिषद के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतर गए।

एक छात्र संगठन के रूप में आसू अंग्रेजों के समय से ही अस्तित्व में था। उस समय उसका नाम था अहोम छात्र संगठन। 1940 में अहोम दो भागों में बंट गया, लेकिन 1967 में दोनों धड़े आपस में मिल गए और संगठन का नाम रखा गया ऑल असम स्टूडेंट्स एसोसिएशन. बाद में इसका नाम बदलकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन या आसू कर दिया गया। वहीं असम गण संग्राम परिषद क्षेत्रीय राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों के लोगों का एक समूह था, जो असम में बाहरी लोगों विरोधी था।

आंदोलन के नेताओं ने दावा किया कि राज्य की जनसंख्या का 31 से 34 प्रतिशत भाग बाहर से आए लोगों का है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो असम की सीमाओं को बंद करे, बाहरी लोगों की पहचान करे और उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए, जब तक ऐसा नहीं

होता है, असम में कोई चुनाव न करवाया जाए। इसके अतिरिक्त आंदोलन करने वालों ने यह भी मांग रखी कि 1961 के बाद राज्य में जो भी लोग आए हैं, उन्हें उनके मूल राज्य में वापस भेज दिया जाए। ऐसे लोगों में बांग्लादेशियों के अतिरिक्त बिहार और बंगाल से आए लोगों की संख्या भी अच्छी–खासी थी। लंबे समय तक समझौता–वार्ता चलने के पश्चात् आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि यह बहुत ही जटिल विषय था। यह पता करना आसान नहीं था कि कौन 'बाहरी' या विदेशी है और ऐसे लागों को कहां भेजा जाना चाहिए।

यद्यपि इस दौरान आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चलती रही जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना गया। असम समझौते के नाम से बने दस्तावेज पर भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इसमें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से उसके अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत, महासचिव भृगु कुमार फूकन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के महासचिव बिराज शर्मा शामिल हुए। इसके अंतर्गत 1951 से 1961 के बीच आये सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मत देने का अधिकार देने का निर्णय किया गया तथा तय किया कि जो लोग 1971 के बाद असम में आये थे, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

17 नवंबर 1999 को केंद्र सरकार ने निश्चित किया कि असम समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को नवीनतम करना चाहिए। यद्यपि यह पहल ठंडे बस्ते में चली गई। इसके पश्चात् 5 मई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अपडेट किया जाना चाहिए और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। गोगोई सरकार ने असम के बारपटा और चायगांव जैसे कुछ जिलों में पायलट परियोजना के रूप में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका पर कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन राज्य के कुछ भागों में हिंसा के बाद यह रोक दिया गया। बाद में असम पब्लिक वर्क नाम के एन.जी.ओ. सहित कई अन्य संगठनों ने 2013 में इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाली।

2013 से 2017 तक के चार साल के दौरान असम के नागरिकों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में कुल 40 सुनवाइयां हुईं, जिसके पश्चात् नवंबर 2017 में असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से

कहा था कि 31 दिसंबर 2017 तक वो राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अपडेट कर देंगे। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और निगरानी में यह कार्य आरम्भ हुआ और 2018 जुलाई में अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने, जिन 40 लाख लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उन पर किसी प्रकार की सख्ती करने पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। वहीं चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि एनआरसी से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से भी ये नाम हट जायेंगे. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता के पंजीकरण के लिए तीन जरूरी अनिवार्यताओं मं आवेदक का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम आयु 18 साल होना और संबद्ध विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना सम्मिलित है।

♦♦♦♦♦

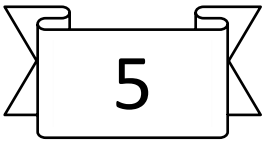

5

राष्ट्रीय नागरिक पजिकाः भारत की आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में।

शम्भू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधालय

प्रवास की अवधारणा कोई नयी अवधारणा नही है। हिंसा और भय के कारण मनुष्य एक देश से दूसरे देश मे प्रवास करते है। परन्तु यही प्रवास अगर अवैध शरणार्थी के रूप मे हो तो यह किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। विकासशील देश भारत में अवैध रूप से आए शरणार्थियो को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षो से भारत मे अवैध रूप से शरणाथिर्यो की सख्ंया में वृद्दि हुई है। जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चिन्ता का विषय है। भारत विश्व मे जनसख्ंया के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे विशाल जनसंख्या वाला देश है। जिसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। इसलिए अवैध शरणाथिर्यो की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए एक संकट है।

भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति और विभाजन के बाद से ही अवैध शरणार्थी की समस्या का सामना कर रहा है। वर्ष 1947 मे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान (बंग्लादेश) चले गए। लेकिन असम मे उनकी भूमि होने के कारण इन लोगो का दोनों देशों मे आना–जाना लगा रहा। जिसके कारण वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को तैयार किया गया। वर्ष 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्व के बाद पूर्वी पाकिस्तान कों बग्लादेश के रूप मे एक नया देश बनाया गया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्व के दौरान लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए और बांग्लादेश बनने के बाद भी भारी संख्या में शरणाथिर्यो का भारत आना जारी रहा। जिसके कारण असम की जनसंख्या मे भी वृद्धि देखी गई जिसके परिणामस्वरूप 1980 के दशक में अखिल असम छात्र संघ ने अवैध रूप से आए शरणाथिर्यो की पहचान कर उन्हे वापस भेजने के लिए एक आंदोलन आरंभ किया। आखिल असम छात्र संघ के 6 वर्षो के आंदोलनरूपी संघर्ष के बाद वर्ष 1985 मे असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के सवौच्च न्यायालय द्वारा असम समझौते 1985, राष्ट्रीय नागरिक पंजिका 1951 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को ध्यान मे रखकर असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका

को लागू किया गया जिसमें सवौच्च न्यायालय ने असम समझोते के अनुसार दिनांक 25 मार्च 1971 के बाद असम मे आए सभी बंग्लादेशी नागरिको को असम से जाने के लिए कहा। भारत मे अवैध शरणार्थी केवल असम राज्य तक सिमित नहीं है। भारत के सभी राज्यों मे अवैध शरणाथिर्यो की मौजूदगी है। देश की राजधानी दिल्ली, मुम्बई, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में अवैध शरणार्थी (बाग्लादेशी) रह रहे है।

भारत मे अवैध शरणाथिर्यो की सख्या में होती निरंतर वृद्धि की समस्या को ध्यान मे रखकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को संपूर्ण भारत मे एक नये प्रारूप को लागू करने का विचार किया। भारत के गृहमन्त्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के विचार को सकारात्मक रूप से वास्तविक रूप देने की इच्छा देश के समक्ष प्रकट की। परन्तु विपक्षी राजनीतिक दलो और विशेष समुदाय विरोध ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का विरोध आरंभ कर दिया । यह विरोध सी.ए.ए., एन.आर.सी. एवं एन.पी.आर. के विरूद्व किया गया और सी.ए.ए., एन. आर.सी. एवं एन.पी.आर. को एक साथ जोड़कर देखना आरंभ कर दिया गया। सी.ए.ए., एन.आर. सी. एवं एन.पी.आर. के विरूद्व जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, आम जनता को भ्रमित किया गया जिसके परिणामस्वरूप सभी राज्यो मे विशेषकर राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगांल और पूर्वोतर के राज्यों में सी.ए.ए., एन.आर.सी. एवं एन.पी.आर. का विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप धारण करने लगें और अनेक हिंसक घटनाएँ देखने को मिली जिसमें सार्वजनिक संपति कों क्षतिग्रस्त किया गया।

देश की राजधानी दिल्ली में सी.ए.ए., एन.आर.सी. एवं एन.पी.आर. के विरोध में हो रहें प्रदर्शन ने एक भयानक हिंसा का रूप धारण कर लिया। पूर्वी दिल्ली मे हुऐ दंगों ने धार्मिक, सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया जिसमे 53 लोगो की जान चली गई और लगभग 300 के करीब लोग घायल हो गये। पूर्वी दिल्ली मे दंगो के दौरान हुई हिंसक आगजनी की घटनाओ ने सार्वजनिक संपति और आम–जनता की संपति को गंभीर रूप से नुकसान किया। हलांकि इन सभी भ्रान्तियों और नकारात्मक दृष्टिकोण से दूर हटकर अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का विश्लेषण करें तो पाएगें की राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका देश की आंतरिक सुरक्षा कों मज़बूती से कायम रखने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। जो लगातार अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर है। परन्तु अवैध शरणार्थी भारत और भारतीयों के विकास मार्ग मे एक समस्या के रूप मे अवरोध उत्पन्न कर रहे है। आम जनता के विकास के संसाधन सीमित होने के कारण और भारत की विशाल जनसंख्या के बीच

सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य है और इसके ऊपर अवैध शरणार्थी की बढ़ती जनसंख्या भी इस सामंजस्य को कुंठित करने का कार्य करती है जिससे भारतीयों के विकास का मार्ग अवरूद्ध होता है।

भारत में अवैध शरणार्थी की समस्या केवल जनसख्या वृद्वि रूपी समस्या नही है। बल्कि भारत मे बाग्लादेश से आए अवैध शरणार्थी ज्यादातर गैर कानुनी गतिविधियों मे शामिल रहते है। जिसमे जाली नोटो की तस्करी मादक प्रदार्थो की तस्करी और आतकवाद से इनके संबध जैसी अवैध और गैर कानुनी गतिविधियों मे इनकी भूमिका का पता चलता रहा है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होता है। देश की राजधानी दिल्ली मे भी अवैध शरणार्थी (बाग्लादेशी) गैर–कानूनी गतिविधियों मे लिप्त पाए गए है। जिसमे जाली नोटो की तस्करी और मादक पदार्थो की तस्करी जैसे मामले मुख्य है। भारतीय सेना और पुलिस ने अनेको बार ऐसी घटनाओं मे लिप्त अवैध शरणार्थी (बाग्लादेशी) कों अपराधी के रूप में गिरफ्त मे लिया है। एक प्रकार से अवैध शरणार्थियों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी गतिविधियां भारत की आंतरिक सुरक्षा को सकंट मे डाल रही है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को असम राज्य मे लागू कर अवैध शरणार्थियों की पहचान की गई है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के एक बेहतर प्रारूप को संपूर्ण भारत पर लागू किया जाए और अवैध शरणार्थियों की पहचान कर उनके राष्ट्र (बांग्लादेश) वापस भेजा जाए और भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को और मज़बूत किया जाए।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की प्रक्रिया मे सभी लोगों को काननी प्रक्रिया से अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए हर संभव अवसर प्रदान किया जाए जिससें सभी वैध नागरिक अपनी नागरिकता को सिद्ध करने मे सफल रहें और अवैध रूप से भारत मे प्रवेश किए अवैध शरणार्थियों को वापस उनके मूल देश भेजा जाए।

♦♦♦♦♦

6

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः राजनीति और सुरक्षा के संदर्भ में

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहला मुद्दा रॉफेल और वहीं दूसरा मुद्दा एन. आर. सी. रहा है। ये दोनो ही मुद्दे राजनीति के घेरे में दिखाई देते है। परंतु जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं। इसी प्रकार एन. आर. सी. भी राजनीति से अधिक भारत की सुरक्षा की ओर उन्मुख होता दिखा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एन.आर.सी.) एक रजिस्टर है, जिसमें सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं। वर्तमान में, केवल असम में ही ऐसा रजिस्टर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एन.आर.सी.) भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है। इसका आरंभ 1951 में तैयार करके किया गया था, यह जनगणना के आचरण के बाद, एन. आर. सी. को उस जनगणना के दौरान प्रगणित सभी व्यक्तियों के विवरण दर्ज करके तैयार किया गया था। एन. आर. सी. के द्वारा अब उन व्यक्तियों (या उनके वंशजों) के नामों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जाएगा जो एन. आर. सी. 1951 या 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक या किसी अन्य स्वीकार्य में से किसी भी मतदाता सूची में दिखाई देंगे। 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक दस्तावेज़ जारी किए गए, जो 24 मार्च, 1971 को या उससे पहले असम या भारत के किसी भी हिस्से में अपनी उपस्थिति को सिद्ध करेंगे। इस व्यवहार को अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जा सकता है। नागालैंड पहले से ही एक समान डेटाबेस बना रहा है जिसे 'रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इन हेबिटेंट्स' के रूप में जाना जाता है। केंद्र एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें नागरिकों के जनसांख्यिकीय और बायामेट्रिक विवरण होंगे।

असम में (एन.आर.सी.) क्या है?

असम में एन. आर. सी. मूल रूप से राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची है। नागरिकों का रजिस्टर बांग्लादेश की सीमाओं वाले राज्य में विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए निर्धारित किया गया है। रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के

आदेश के बाद शुरू की गई थी, जिसमें राज्य के लगभग 33 मिलियन लोगों को यह सिद्ध करना था, कि वे 24 मार्च 1971 से पहले के भारतीय नागरिक थे। अद्यतन अंतिम एन.आर.सी. 31 अगस्त को जारी किया गया था जिसमें 1.9 मिलियन से अधिक आवेदक सूची में शामिल होने में असफल रहे।

नागरिकता कैसे साबित होती है?

असम में, बुनियादी मानदंडों में से एक यह था कि आवेदक के परिवार के सदस्यों के नाम या तो 1951 में तैयार पहले एन. आर. सी. में हों या 24 मार्च 1971 तक के मतदाता सूची में हों। इसके अलावा, आवेदकों के पास शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, एल.आई.सी. पॉलिसी, भूमि और किरायेदारी रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकार द्वारा लागू लाइसेंस या प्रमाण पत्र, बैंक/डाकघर के खाते, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पेश करने का विकल्प भी था। सरकारी रोजगार प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और न्यायालय रिकॉर्ड भी इसमें शामिल किए गए है।

बहिष्कृत व्यक्तियों के साथ क्या होता है?

सरकार ने कहा कि एनआरसी में किसी व्यक्ति के नाम को शामिल न करने से उसके पास खुद की राशि नही है। ऐसे व्यक्तियों के पास विदेशियों के न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। यदि कोई न्यायाधिकरण में मुकदमा हार जाता है, तो व्यक्ति उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है। असम के मामले में, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं स्वतंत्र करेगी जब तक कि उसे विदेशियों के न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित नहीं किया जाता है।

1951 मे असम में एन.आर.सी.

असम में भारतीय नागरिकों के लिए पहली बार 1951 में बनाया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा को भी अपने एन. आर. सी. बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह कभी भी सफल नहीं हुआ। इस कदम के पीछे का कारण असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करना था, जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अप्रभावित प्रवास के बीच थे। इस सूची में वे लोग शामिल थे जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रहते थे, या वे भारत में पैदा हुए थे या उनके माता–पिता थे जो भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी, 1950 के कट–ऑफ से कम से कम पांच साल पहले स

भारत में रह रहे थे। सरकार ने असम के हर जिले में एन. आर. सी. सेवाकेंद्र स्थापित किए हैं, जो लोगों को विरासत डेटा की खोज करने, विरासत डेटा कोड जारी करने और एन. आर. सी. आवेदन पत्र प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

एन.आर.सी. में शामिल करने के लिए दो आवश्यकताएं होंगी –

1. 1971 के पूर्व की अवधि में किसी व्यक्ति के नाम का अस्तित्व और
2. उस व्यक्ति के साथ संबंध सिद्ध करना।

अद्यतन एनआरसी में शामिल अपने नाम को भूलकर, नागरिकों को आवेदन पत्र (परिवार के अनुसार) जमा करना होगा। सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों का सत्यापन और उनके आवेदन प्रपत्रों में नागरिकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के सत्यापन के परिणामों के आधार पर किया जाएगा अद्यतनएन. आर. सी. तैयार किया जाएगा। हालांकि, अंतिम एन. आर. सी. के प्रकाशन से पहले आवेदकों को एक और अवसर देने के लिए, आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद एक मसौदा एन. आर. सी. प्रकाशित किया जाएगा और नागरिकों को ऐसे सभी दावों के सत्यापन के बाद दावे, आपत्तियां, सुधार आदि प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। असम में एन. आर. सी. अपडेट को नियंत्रित करने वाले प्रावधानो में नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 शामिल हैं।

एन. आर. सी. के चरण

एन. आर. सी. की पूरी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं–

1. विरासत डेटा प्रकाशन चरण।
2. आवेदन फॉर्म वितरण और रसीद चरण।
3. सत्यापन चरण।
4. एन. आर. सी. भाग प्रारूप का प्रकाशन।
5. पूरा एन. आर. सी. प्रारूप प्रकाशन और दावे और आपत्तियों के चरण की प्राप्ति।
6. अंतिम एन.आर.सी. प्रकाशन।

इस प्रकार की प्रकिया के द्वारा एन. आर. सी. को सफल बनाया जा सकता है जिससे भारत की सुरक्षा अर्थात नागरिको के हितो के लिए इसको और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत विविधताओ भरा देश है और इस देश की इस मान्यता को बरकरार रखने के लिए

इस प्रकार के कानून का होना अति आवश्यक है इस प्रकार के बिल पर विपक्ष की पार्टियों द्वारा खेले जाने वाला खेल भारत की सुरक्षा को खतरे की ओर संदेश है जिससे बचने की अति आवश्यकता है।

निष्कर्ष– अतः यह कहा जा सकता है की यह कोई राजनीतिक दावपेंच नहीं है अपितु यह सुरक्षात्मक पेंच है जहां भारत में होने वाले घुसपेठियों पर रोक लगाकर भारत में अभी तक संदेह असम को लेकर रहा है जिसका कारण वहां की संख्या का लाखों में बढ़ोतरी होना रही है।

♦♦♦♦♦

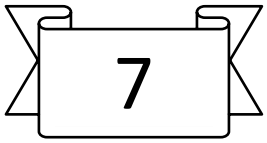

7

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका एवं भारतीय राजनीतिक दलः परिवर्तित विचार

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी) का विषय अब भारतीय जनता दल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल कर इसे राष्ट्रिय स्तर पर लागू करने का वायदा किया जिसके पश्चात् एन.आर.सी चुनावी बहस का केंद्रबिंदु बन गया। एन.आर.सी का उद्देश्य वास्तविक भारतीय नागरिकों को दर्ज करना और घुसपैठियों की पहचान करना है। सीमावर्ती राज्यों में से कई, मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में, पड़ोसी देशों, विशेषतः बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में, एन.आर.सी केवल असम में लागू किया गया है, जहाँ बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के बाद जनसांख्यिकी ढाँचे में परिवर्तन आया है।

बांग्लादश से घुसपैठ सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक–जातिय तनाव का कारण रही है क्योंकि स्थानीय लोग अपने गृह राज्य में हाशिए पर रहने से आशंकित हैं। 1980 के दशक में, असम में अवैध प्रवासियों के विरुद्ध छह वर्ष का हिंसक आंदोलन हुआ था। राजनयिक और सीमा प्रबंधन जैसे स्थापित उपाय के प्रयास किसी भी परिणाम को लाने मे विफल रहे। इसका मुख्य कारण है, बांग्लादेश अपने क्षेत्र से भारत में होने वाली किसी भी घुसपैठ की पहचान नहीं करता,

कुल मिलाकर दोनों सी.ए.ए और एन.आर.सी विवादास्पद मुद्दे रहे हैं जिसके कारण देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय के साथ इन मुद्दों पर अपना रुख बदल दिया। इस लेख का उद्देश्य इन मुद्दों पर विभिन्न दलों और उनके बदलते विचारों का विश्लेषण करना है। शरणार्थी, अवैध प्रवासन, सांस्कृतिक पहचान, भाषा, धर्म आदि ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम और एन.आर.सी के विचार को प्रभावित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय के साथ–2 अपने राजनीतिक गठबंधन, प्रचलित मनोदशा और राजनीतिक अवसर आदि के आधार पर अपना विचार बदल दिया है।

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एन.आर.सी पर बदलते विचार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एन.आर.सी के साथ–2 सी.ए.ए दोनों का विरोध करने में सबसे आगे है। दल ने बिल के विरुद्ध लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान किया है। देश भर में कांग्रेस और उसके सहयोगी सी.ए.ए और एन.आर.सी के विपरीत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी एन.आर.सी. के विरुद्ध अपने दृढ़ विचार के विपरीत, कांग्रेस असम में एन.आर.सी की समर्थक थी। 2018 में असम के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने दावा किया कि यह कांग्रेस दल है जिसने असम में एन.आर.सी की प्रक्रिया शुरू की थी। भारतीय जनता दल, जिस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात् असम में एन.आर.सी की गतिविधि शुरू की, इनका दावा है कि असम में व्यवस्था एन.आर.सी असम अनुबंध के अनुसार किया जा रहा है, जो 1985 में कांग्रेस दल से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा हस्ताक्षरित है।

असम में एन.आर.सी के बारे में कांग्रेस का विरोध कार्यान्वयन के संबंध में है, विशेष रूप से एन. आर.सी के प्रारूप में जो 40 लाख से अधिक लोगों को बाहर किए जाने के दावों को दर्शाता है। परन्तु इस बीच, प्रारूप जारी होने पर एन.आर.सी के विरोध में असम की राज्य कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया। सी.ए.ए. को काउंटर करने की कोशिश में, असम कांग्रेस राज्य सरकार ने एन.आर.सी का समर्थन करते हुए सार्वजनिक घोषणा की और दावा किया कि सी.ए.ए, एन.आर.सी और असम अनुबंध के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह एन.आर.सी के विरोध में हैं।

अखिल भारतीय तृणामूल कांग्रेसः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सार्वजनिक घोषणा के रूप में यह बताया कि वह अपने राज्य में सी.ए.ए और एन.आर.सी के कार्यान्वयन का समर्थन नहीं करेंगी। दिसंबर 2019 को, पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी दल द्वारा एन.आर.सी और सी.ए.ए के विरोध को प्रकाशित किया। वर्तमान समय में ममता बनर्जी द्वारा एन.आर.सी का विरोध यह कह कर किया जा रहा है कि इसके माध्यम से नागरिकता का दर्जा खोने का डर है, परन्तु बनर्जी द्वारा 2005 में जब वह विपक्ष में थीं, पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे को उठाया गया था। असम में एन.आर.सी के बारे में तृणमूल कांग्रेस की मुख्य चिंताओं में से एक उन लोगों का संभावित

प्रवास था जो पश्चिम बंगाल में अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सके और यह असम व उत्तर–पूर्व में रहने वाले बंगालियों के लिए भी एक प्रतिक्रिया थी।

अन्य क्षेत्रीय दलः भारतीय राजनीतिक पटल पर एन.आर.सी को सी.ए.ए के साथ जोड़ कर देखा गया, जिसमे कुछ दलों ने दोनां (एन.आर.सी और सी.ए.ए) के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कज़हगम और तेलांगना राष्ट्रीय समिति वहीं बहुत से दलों ने दोनों सदनों में सी.ए.ए. के समर्थन में वोट दिया परन्तु कुछ ने एन.आर.सी का विरोध किया जैसे जनता दल (यूनाइटेड) भारतीय जनता दल, अकाली दल, एआ.ई.ए.डी.एम.के, तेलुगु देशम दल आदि। परन्तु भारतीय जनता दल के अनुसार, वे एन.आर.सी का समर्थन नहीं करेंगे। सी.ए.ए को समर्थन देने का उनका कारण यह था कि यह बिल केवल विदेशियों पर लागू होता है और भारतीय नागरिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रोचक बात यह है कि भा.ज.पा. अपने बहुमत के कारण लोकसभा में बिल (सी.ए.बी.) पारित करने में सक्षम रही, लेकिन राज्यसभा में, इन क्षेत्रीय दलों ने बिल को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां भा.ज.पा के पास आवश्यक संख्या नहीं थी। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस दल, जिसने दोनों सदनों में सी.ए.ए का समर्थन किया परन्तु एन.आर.सी का विरोध किया। इस बीच, बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में जे.डी.(यू) भा.ज.पा. का अहम सहयोगी है और सी.ए.ए और एन.आर.सी के मुद्दे पर विभाजित हुआ है। दल ने दोनों सदनों में सी.ए.ए का समर्थन किया है। परन्तु राष्ट्र व्यापी एन.आर.सी का विरोध किया है।

अधिकांश राजनीतिक दलों ने समय–समय पर सी.ए.ए और एन.आर.सी पर अपने विचार में परिवर्तन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी दल के लिए, जिसके पास अखिल भारतीय आधार है, असम में एन.आर.सी पर और शेष भारत में इसके विचार भिन्न हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस द्वारा अवैध प्रवासियों के प्रति चिंता प्रकट की गयी थी। हालांकि, वास्तविकता में तृणामूल कांग्रेस धर्म के नाम पर सी.ए.ए. 2019 के बहिष्कार का प्रयास कर रही है।

कुल मिलकर कुछ दल राष्ट्रव्यापी एन.आर.सी का विरोध कर रहे हैं लेकिन सीमा के समीप राज्यों के लिए सहमति प्रकट कर रहे हैं, कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके द्वारा पहले सीमा के समीप राज्यों में घुसपैठ की चिंता जताई गयी और एन.आर.सी की मांग की गयी परन्तु भा.ज.पा के कारण धर्म को आधार बनाते हुए अब वह विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर एन.आर.सी के विषय

में राजनीतिक दलों का विचार स्पष्ट रूप से भा.ज.पा विरोधी राजनीति करना है और देश में अस्थिरता उत्पन्न करना है। वर्तमान समय में राष्ट्रव्यापी एन.आर.सी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गयी है परन्तु विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा एन.आर.सी पर समय–समय पर परिवर्तित विचार भा.ज.पा. विरोधी राजनीति को दर्शातें हैं।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन
गुरू तेग बहादुर मार्ग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281